न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 67/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी हेमावास तहसील पाली		1 मंजूदेवी पत्नि शंकरलाल 2 मंगलाराम पुत्र ढलाराम 3 सोनाराम पुत्र रामा 4 ढलाराम पुत्र बींजा 5 धापूदेवी पत्नी ढलाराम जातिगण खारोल निवासीगण हेमावास तहसील पाली 6 भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.1.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47/2014 बअनवान मंजूदेवी बनाम मोहनलाल में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में से 20 फीट चौडा मार्ग प्रदान कराने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि उनकी भूमि के चिपते हुए ही रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है। अतः रास्ते में जितनी भूमि अवाप्त की गई, उतनी ही भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट को दिलाने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया तथा अपीलाण्ट की भूमि में से 20 फीट चौडी भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने एवं इसके एवज में अपीलाण्ट को प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि प्रदान कराने का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि एक दूसरे से चिपते हुए होने से भूमि के बदले भूमि दिया जाना ही विधि सम्मत था, जो नहीं किया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रास्ते में दी गई भूमि के अनुपात में रेस्पोडेन्ट से भूमि दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया। इसके पश्चात तहसीलदार पाली द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने के पश्चात राजस्व लोक अदालत में दोनों पक्षों की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसकी पालना भी हो चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) में भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नहीं है। जैर अपील आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प हेमावास में पारित किया गया है, जिस दिन अपीलाण्ट उपस्थित था। निर्णय पारित होने के 1 वर्ष के पश्चात अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मयाद बाहर होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम हेमावास के खसरा नम्बर 481 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 483/1 रकबा 5 बीघा में से 20 फीट भूमि रास्ते हेतु प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 01.07.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते में दी जाने वाली भूमि में एवज में रेस्पोडेन्ट से भूमि दिलाने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के कारण नकार दिया गया। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत कैम्प हेमावास में उभयपक्ष की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया। इस दिनांक की आदेशिका में अपीलाण्ट के भी हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील आदेश अपीलाण्ट की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट को ज्ञान था। इसके बावजूद जैर अपील आदेश पारित होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की एवं अपील को अन्दर मयाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मयाद शुमार करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने के कारण खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण पर भी देखा जाए तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47/2014 बअनवान मंजूदेवी बनाम मोहनलाल में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31-1-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली